

13

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 412 / 2019

लिछमणराम पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

भागवन्ती पत्नी शिवभगवान जाति जाट निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ।

प्रतिवादीया

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीया मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी लिछमण राम को चकनं 7 एफटीपी के खाता सं 90/70 के प 0 न 0 219/245 मु 0 24 किलानं 1/1/.228 है 0 नहरी, 1/2/.025 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता व ख. प्रतिवादीया भागवन्ती को चकनं 7 एफटीपी के खाता सं 95/81 के प 0 न 0 223/230 मु 0 19 किलानं 22/.253 है 0 कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं 7 एफटीपी के खाता सं 90/70 मे से प्रतिवादीया भागवन्ती का नाम कलमजन किये जाने व इसी चक के खाता सं 95/81 में से वादी का हिस्सा कम कर शेष खाता वादी का बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16/12/19.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी